28.01.2025 – पत्रावली आज वादी अधिवक्ता श्री सन्तोष भाटी के प्रार्थना पत्र पर पेशी मे लिया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी को वाद द्वारा याचित अनुतोष प्राप्त हो चुका है ऐसी स्थिती मे वादी को चलाने का कोई औचित्य नही है। वादी को वादपत्र प्रत्याहारित करने की अनुमति फरमाई जावे। वादी अधिवक्ता के निवेदन पर उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी के फर्द अहकाम पर अगुठा/हस्ताक्षर करवाये गयें। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता श्री सन्तोष भाटी द्वारा कि गई। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद पत्र मौजूदा सूरत मे विड्रा किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.04.15 10:12:24 IST
Reason: SelfAttested